अंजीरा बनाम बनवारीलाल अ.नं. 100/23

दिनांक	आज्ञा पत्र	
16.4.25	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21.4.25 को पेश हो।	
21.4.25	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 5.5.25 को पेश है।	
5.5.25	पत्रावली पेश। [illegible] पक्षकारान [illegible], [illegible]. बाद आदेश दिनांक 9.5.25 को पेश हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
9.5.25	पत्रावली पेश। दोनों [illegible] [illegible] [illegible] हैं [illegible] आदेश नहीं लिखवाया जा सका। पत्रावली बाद आदेश दिनांक 13.5.25 को पेश हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
13.5.25	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट ...[illegible]... की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर सत्यमेव जयते

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 100 / 2023

1 संगीता पुत्री बनवारीलाल उम्र 37 साल
2 प्रियंका पुत्री बनवारीलाल उम्र 34 साल
समस्त जाति जाट निवासीगण चलका की ढाणी तन खींवासर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांटस

बनाम

1 बनवारीलाल पुत्र मंशाराम
2 झामोती पुत्री मंशाराम
3 विनोद देवी पत्नी बनवारीलाल
समस्त जाति जाट निवासीगण चलका की ढाणी तन खींवासर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
4 पटवारी हल्का खींवासर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
5 उपपंजीयक लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।
6 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर बहैसियत भूधारक राजस्थान सरकार।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ पीठासीन अधिकारी श्री राजेश मीणा आरएएस आवेदन संख्या 100 / 22 उनवानी संगीता आदि बनाम बनवारीलाल आदि दिनांकित 17.10.2023 (जिस आवेदन के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे नहीं बढ़ाया जाकर प्रार्थी / अपीलांट के पक्ष में जारी स्थगन आदेश अपास्त कर दिया गया)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री महेन्द्र जाखड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री गणपतलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 13/5/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 100/2022 में पारित निर्णय दिनांक 17.10.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्टस ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 6 के विरूद्व विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के यहां वादग्रस्त भूमियां खसरा नम्बर 213 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 214/1 रकबा 2.43 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 214/3 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 202/1 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 202/4 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 202/2 रकबा 0.28 हैक्टेयर खसरा नम्बर 588 रकबा 0.03 हैक्टेयर वाके ग्राम शहीद जे.पी.नगर तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 589 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 590 रकबा 7.52 हैक्टेयर वाके ग्राम खींवासर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर के बाबत अपीलान्ट ने पैतृक कृषि भूमियों के संबंध में अपने हक व अधिकारों की उद्घोषणा हेतु एक वाद उनवानी संगीता आदि बनाम बनवारीलाल आदि तथा इसी उनवान का टी.आई. आवेदन उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के यहां पेश किया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 23.06.2022 को स्थगन जारी कर वादग्रस्त भूमियों के बाबत राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया गया, विचारण न्यायालय द्वारा उक्त अपीलाधीन टी.आई. आवेदन में जारी अस्थाई स्थगन आदेश को दिनांक 17.10.2023 आगे की अवधि के लिए नहीं बढ़ाया जाकर स्थगन आदेश को अपास्त कर दिया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं ... सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांटस एवं रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 3 की पैतृक कब्जे काश्त की कृषि भूमियां खसरा नम्बर 213, 214/1, 214/3, 202/1, 202/4, 202/2, 5588, 589, 590 जो ग्राम शहीद जे.पी. नगर व ग्राम खींवासर में अवस्थित है जिसमें शहीद जे.पी.नगर में अवस्थिति भूमियों में तथा खींवासर में अवस्थित भूमियों में तथा खींवासर में अवस्थित भूमियों में अपीलान्ट का 1/8, 1/8 हक, हिस्सा है। अपने उक्त हक व हिस्से की उद्घोषणा हेतु विचारण न्यायालय में दावा व टी.आई. आवेदन पेश किया गया था कि वादग्रस्त भूमियां पैतृक कृषि भूमि है तथा हमारा भी कब्जा, काश्त है। वादग्रस्त भूमियों में अपीलान्ट का कब्जा, काश्त होते हुए भी विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश को आगे नहीं बढ़ाया जाकर अपास्त कर दिया गया है जो किसी भी दृष्टि से उचित, आवश्यक एवं न्याय संगत नहीं है। विचारण न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट अंकन किया है कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट की तामील आज दिवस तक नहीं करवाई है जबकि विचारण न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से जरिए वकील उपस्थित हो चुका है तथा अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ता 6 की तामील आदेशिका दिनांक 17.10.2023 में सम्यक रूप से हो चुकी है का आदेश किया हुआ है। इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने अपने आदेश में पक्षकारों की तामील नहीं करवाने का कथन करते हुए उपरोक्त विचाराधीन निर्णय पारित किया है जो कतई स्थिन रहने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय के आदेश में लिखा है कि प्रार्थी/अपीलान्ट ने पूर्व में एक एक टी.आई. आवेदन पेश किया गया था। उसमें टी.आई. प्राप्त नही होने पर यह दूसरी टी.आई. पेश कर स्थगन प्राप्त किया है। जिससे यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से यह स्थगन प्राप्त किया है। जबकि पूर्ववर्ती वाद व वर्तमान वाद में वाद कारण अलग अलग व दूसरी ओर यदि वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द हस्तान्तरण किया जा रहा हो तो उसको यथास्थिति बनाये रखने के लिए

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

टी.आई. प्राप्त करना ही एकमात्र उपचार है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि पक्षकारों के मध्य निर्णय ही नहीं न्याय भी होना चाहिए जबकि प्रस्तुत अपीलाधीन आदेश में आदेश के साथ साथ न्याय भी होना चाहिए था। इस कारण भी विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट/वादीगण ने एक दावा संख्या 81/2018 व स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 42/2018 तथा एक अन्य स्थगन प्रार्थना पत्र 100/2022 विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के यहां आराजियात खसरा नम्बर 213, 214/1, 214/3, 202/1, 202/4, 202/2, 588 वाके ग्राम शहीद जे.पी. नगर तथा खसरा नम्बर 589, 590 वाके ग्राम खींवसर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज. का विचाराधीन है जिसमें प्रार्थना पत्र संख्या 100/2022 में प्रार्थी ने एक आवेदन आदेश 39 नियम 3 सीपीसी पेश किया जिसका विचारण न्यायालय ने दिनांक 17.10.2023 को एकपक्षीय स्थगन आदेश को अपास्त कर दिया। इसके विरूद्ध इस न्यायालय में रेस्पोडेन्ट की ओर से कैवियट प्रस्तुत की गई थी किन्तु इस न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट को सुने बिना दिनांक 3.11.2023 को एकपक्षीय स्थगन जारी किया गया है। अतः स्थगन खारिज किया जावें। प्रस्तुत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। उभयपक्ष के मध्य पूर्व से दावा एवं टीआई आवेदन संख्या 81/2018 एवं 42/2018 लंबित है। पक्षकारों के मध्य धारा 212 के आवेदन का निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा किया जाना शेष है। ऐसी स्थिति में अपील के स्तर पर विचाराधीन निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रकरण में अपीलान्ट/वादीगण ने एक दावा संख्या 81/2018 व स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 42/2018 तथा एक अन्य स्थगन प्रार्थना पत्र 100/2022 विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के यहां आराजियात खसरा नम्बर 213, 214/1, 214/3, 202/1, 202/4, 202/2, 588 वाके ग्राम शहीद जे.पी. नगर तथा खसरा नम्बर 589, 590 वाके ग्राम खींवसर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज. का विचाराधीन है जिसमें प्रार्थना पत्र संख्या 100/2022 में प्रार्थी ने एक आवेदन आदेश 39 नियम 3 सीपीसी पेश किया जिसका विचारण न्यायालय ने दिनांक 17.10.2023 को एकपक्षीय स्थगन आदेश को अपास्त कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन आदेश में प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर कोई विवेचन नहीं किया है। विचारण न्यायालय द्वारा धारा 212 के आवेदन पर उभयपक्ष को सुना जाकर गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना शेष है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि धारा 212 के आवेदन पर उभयपक्ष को सुनकर प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु का निस्तारण कर आगामी दो माह में प्रकरण का गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.06.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 13/5/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर